न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल –2 ग्वालियर सदस्य महोदय ग्वालियर बैंच भोपाल (म.प्र.)

निगरानी-3447/2018/सीहोर/भू.रा

निगरानी क्र. ..../18

1. गुरूप्रसाद आ. रामदयाल जाति ढीमर
   आयु लगभग 30 वर्ष धंधा कृषि
2. श्रीमति लीलाबाई पत्नि रामदयाल
   जाति ढीमर आयु लगभग 65 वर्ष
   दोनो निवासीगण ग्राम गोपालपुर
   तह. नसरूल्लागंज जिला–सीहोर (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

संध्याबाई पति मोहनलाल जाति खंडेलवाल आयु लगभग 40 वर्ष
धंधा गृहकार्य निवासी व कृषक ग्राम गोपालपुर
तह. नसरूल्लागंज जिला–सीहोर ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

महोदयजी,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

तथ्य

1- यह कि निगरानीकर्तागण प्रतिनिगरानीकर्ता ग्राम गोपालपुर के कृषक होकर पडोसी कृषक भी है एवं प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत माननीय नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया ओर उसमे यह मांग की गई कि प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा प्र.क्र. 5/अ–70/16–17 के अनुसार उसकी भूमि निगरानीकर्तागणो के आधिपत्य में कमशः रकबा 0.105 हे. व 0.004 हे. प्र.क. 53/अ–12/11–12 पायी गई है जिसका कब्जा दिलवाया जाये।

2- यह कि निगरानीकर्तागण के द्वारा किसी भी प्रकार के वैध सीमांकन से इनकार किया गया एवं निवेदन किया कि उन्हे न तो कोई सूचना पत्र दिया गया है न उनके समक्ष कोई सीमांकन किया गया है एवं न ही उनके आधिपत्य में प्रतिनि...

(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/3447/18/सीहोर गुरुप्रसाद / संध्याबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
18/01/19	आवेदक की ओर से श्री जगदीश जैन अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नसरुल्लागंज के प्रकरण क्रमांक 05/अ-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक 07-05-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	